UPMH010027362026

न्यायालय अपर ज़िला एवं सेशन न्यायाधीश,न्यायालय संख्या–01, महराजगंज।
उपस्थित– संजय मिश्र, उच्चतर न्यायिक सेवा (UPID–6257)
फ़ौजदारी निगरानी संख्या–121/2026

सन्ध्या साहनी उम्र 31 वर्ष पत्नी विजय साहनी निवासी मंगलापुर टोला मोहनापुर, थाना बरगदवां, जिला महराजंगज।

.....निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य
2–नवीन प्रसाद उम्र 40 वर्ष/उप जिला अधिकारी नौतनवां, ज़िला महराजंगज।
3–सन्दीप गौड़ उम्र 40 वर्ष उप निबन्धक अधिकारी, तहसील नौतनवां ज़िला महराजंगज।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत निगरानी प्रकीर्ण वाद संख्या–1329/2025 में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.05.2026 के विरुद्ध संस्थित की गयी है। उक्त आदेश के द्वारा विद्वान् मजिस्ट्रेट ने भारतीयनागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–173(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए विपक्षी संख्या–3 ता 5 के विरुद्ध विवेचना का आदेश पारित कर दिया, जबकि विपक्षी संख्या–1 व 2 के विरुद्ध विवेचना की याचना निरस्त कर दी। उक्त आदेश से व्यथित हो कर यह निगरानी संस्थित हुई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि "प्रार्थिनी ग्राम सभा की महिला प्रधान है। प्रार्थिनी के ग्राम सभा में आराजी संख्या–344 मि० रक़बा–0.421 हे0 जो बंजर की भूमि के नाम से दर्ज है, उसमें से शैलेश पाण्डेय दत्तक पुत्र केदारनाथ पाण्डेय ने बिना किसी अधिकार के 81 एयर जमीन अपनी पत्नी किरन पाण्डेय के नाम से बैनामा कर दी। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थिनी के ससुर तथा पूर्व ग्राम प्रधान तथा वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामदास ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी नौतनवां को दिया कि आराजी संख्या–344 मि० रकवा–0.421 हे0 का पैमाइश कराकर चिन्हित किया जाय, जिस पर उप जिलाधिकारी नौतनवां के आदेश के अनुक्रम में 10–03–2021 को एक टीम गठित हुई। दिनांक 15–03–2021 को उक्त ग्राम सभा के बंजर भूमि का सीमांकन किया, किन्तु किरन पाण्डेय ने पुनः उक्त जमीन की चौहददी बदलकर अपने पति शैलेश पाण्डेय के नाम से बैनामा कर दिया। प्रार्थिनी के ससुर प्रधान प्रतिनिधि पुनः शिकायती प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी नौतनवां को दिनांक 20–03–2021 को दिया गया। उप जिलाधिकारी

नौतनवां ने यह आदेश पारित किया कि प्रभारी निरीक्षक बरगदवां हल्का लेखपाल से प्राप्त आख्या सरकारी भूमि पर अवैधा कब्जा न होने दे तथा विधिक कार्यवाही करने का आदेश होने के बाद भी रजिस्ट्रार संदीप गौड तथा उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद के मिली भगत से एक साजिश व षडयंत्र के तहत उक्त ग्राम सभा की बंजर की भूमि आराजी संख्या–344 मि० रकवा–0.421 हे0 में से पुनः किरन पाण्डेय ने अपने पति के नाम से हिब्बानामा कर दिया। प्रार्थिनी के ससुर प्रधान प्रतिनिधि ने पुनः इसकी शिकायत दिनांक 25–04–2025 को उप जिलाधिकारी नौतनवां व रजिस्ट्रार नौतनवां से की। उप जिलाधिकारी नौतनवां व रजिस्ट्रार नौतनवां आग बबूला होकर कहने लगे कि वह ग्राम सभा की जमीन हो या किसी की जमीन हो उसके नाम से हो या न हो वह विक्रय कर रहा है तो मैं विक्रय करने से मना नहीं कर सकता। प्रार्थिनी के ससुर प्रधान प्रतिनिधि ने पुनः इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय महराजगंज, माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर किया जिसकी जानकारी होने के बाद उप जिलाधिकारी नौतनवां नवीन प्रसाद व उप निबन्धक संदीप गौड़ तथा शैलेश पाण्डेय दत्तक पुत्र केदारनाथ पाण्डेय के साजिश व षडयंत्र करके उक्त ग्राम सभा की बंजर की भूमि को पुनः दिनांक 30–04–2025 को 0.24 हे0 पुनः फर्जी चौहद्दी दिखाकर व चौहद्दी बदलकर गंगोत्री देवी पत्नी राजकिशोर के हाथ सरकारी जमीन का विक्रय कर दिया इस तरह सरकारी, आपस में षडंयत्र करके इन लोगों के मिली भगत से शैलेश पाण्डेय को लाभ पहुँचाने के लिए कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग करके सरकारी जमीन का विक्रय करके सरकार के धन का बन्दरबांट किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नौतनवां व बरगदवां मे प्रार्थना पत्र दिया गया जिसकी जानकारी दिनांक 06–07–2025 को समय करीब 11:00 बजे दिन में उप जिलाधिकारी नौतनवां नवीन प्रसाद, उप निबन्धन अधिकारी संदीप गौड़ तथा शैलेश पाण्डेय व किरन पाण्डेय तथा गंगोत्री देवी सभी लोग कहे कि साले शिकायती प्रार्थना पत्र उठा लो नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे।"

3. निगरानीकर्ता ने निगरानी के जो आधार लिये हैं वे इस प्रकार हैं–"विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 18.05.2026 वावत् विपक्षी सख्या–02 व 03 बिल्कुल गलत व खिलाफ कानून के है, इसलिए अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ती द्वारा पूर्व में योजित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–1329/2025 सन्ध्या साहनी बनाम नवीन प्रसाद वगैरह में सुनवाई के उपरान्त दिनांक 18–11–2025 को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ती ने माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महराजगंज के यहां आपराधिक निगरानी सख्या–282/2025 सन्ध्या साहनी बनाम उ०प्र० राज्य वगैरह दाखिल किया जिसमें बाद सुनवाई माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महराजगंज ने उक्त निगरानी दिनांक 13–04–2026 को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 18–11–2025 को अपास्त कर दिया और यह निर्देश दिया कि विचारण न्यायालय परिवादी को पुनः सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करे। विचारण न्यायालय ने परिवादी/निगरानीकर्ती के अधिवक्ता को पुनः सुनकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 18–05–2026 को पारित किया और उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर परिवादी/निगरानीकर्ती ने यह फौजदारी निगरानी प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भलीभांति परिशीलन न

करके प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत पारित आदेश पारित करने में अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने विधि के प्राविधानों का, विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों का पालन नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने मनमाने तरीके से विपक्षी सख्या–02 व 03 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने का आदेश पारित न करके विधिक त्रुटि कारित की है। प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज करने के उपरान्त पुलिस विवेचना से यह स्पष्ट होगा कि विपक्षी सख्या–02 व 03 की अपराध में संलिप्तता है कि नहीं। प्रश्नगत आदेश विधि–विरूद्ध, गैर कानूनी व अवैधानिक है। अशुद्ध व औचित्यहीन है। प्रश्नगत आदेश न्यायिक मंशा के विपरीत है। विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षी सख्या–02 व 03 के सम्बन्ध में पारित प्रश्नगत आदेश अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि आपराधिक निगरानी स्वीकार कर विपक्षी सख्या–02 व 03 के सम्बन्ध में पारित प्रश्नगत आदेश 18–05–2026 को अपास्त करने की कृपा करें।"

4. विपक्षीगण को नोटिस जारी हुई। विपक्षीगण उपस्थित आये। विपक्षी संख्या–1 ज़रिये सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फ़ौजदारी) पूर्व से उपस्थित है। निगरानीकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता को, विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को तथा सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फ़ौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. बहस के दौरान निगरानीकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि निगरानी में वर्णित आधारों पर प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाए ताकि न्याय की मंशा पूरी हो सके। इसके विपरीत सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता ने तथा विपक्षी संख्या–02 व 03 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि "विचारण न्यायालय ने अपने मस्तिष्क एवं क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुये तथ्य एवं साक्ष्य का सम्यक् विश्लेषण किया है और विधि सम्मत आदेश पारित किया है। आलोच्य आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। निगरानी निरस्त होने योग्य है।"

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 438 की उपधारा (1) कहती है–
The High Court or any Sessions Judge may call for and examine the record of any proceeding before any inferior Criminal Court situate within its or his local jurisdiction for the purpose of satisfying itself or himself as to the correctness, legality or propriety of any finding, sentence or order, recorded or passed, and as to the regularity of any proceedings of such inferior Court, and may, when calling, for such record, direct that the execution of any sentence or order be suspended, and if the accused is in confinement that he be released on his own bond or bail bond pending the examination of the record.

7. उक्त उपधारा के अभिपठन से सुस्पष्ट है कि सेशन न्यायालय को यह शक्ति है कि वह किसी अवर दाण्डिक न्यायालय के द्वारा पारित किसी निष्कर्ष, दण्ड या आदेश जो पारित या अभिलिखित हो, की शुद्धता, वैधानिकता अथवा औचित्य की और प्रक्रिया की नियमितता की जाँच कर सकता है। इसी उपधारा में यह भी

उपबन्धित है कि अवर दाण्डिक न्यायालय की परिभाषा में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के न्यायालय भी आएँगे।

8. आलोच्य आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान् मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–173(4) के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए दो अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना की याचना निरस्त करते हुए शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना का आदेश पारित कर दिया। स्पष्टतः यह आदेश त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इस आदेश का परोक्षतः मतलब है उक्त दो व्यक्तियों को, जिनके विरुद्ध विवेचना की याचना निरस्त कर दी गयी है, विवेचना के किसी भी सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित रखना। स्पष्टतः यह मान्य विधिक सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल है। विवेचना अपराध की होती है न कि अभियुक्तों की और मजिस्ट्रेट को यह शक्ति नहीं है कि वह विवेचना प्रारम्भ होने से पूर्व ही यह सुनिश्चित कर दे कि यदि विवेचना का परिणाम आरोपपत्र होता है तो कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपपत्र नहीं प्रस्तुत किया जाएगा।

9. उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान् मजिस्ट्रेट ने प्रश्नगत आदेश पारित करने में विधिक प्रक्रिया की अनदेखी की और एक ऐसा आदेश पारित किया जो विधितः और तर्कतः सम्यक् नहीं माना जा सकता है। स्पष्टतः ऐसा आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। तदनुसार मैं निगरानी को स्वीकार्य पाते हुए आलोच्य आदेश को अपास्त किये जाने योग्य हूँ।

आदेश

10. फ़ौजदारी निगरानी संख्या–121/2026 स्वीकार की जाती है। प्रकीर्ण वाद संख्या–1329/2025 में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.05.2026 अपास्त किया जाता है। विद्वान् मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थिनी को पुनः सुन कर एक विधि सम्मत आदेश पारित करें। मूल अभिलेखों के साथ इस आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थिनी दिनांक **25.08.2026** को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। पत्रावली नियमानुसार दाख़िल दफ़्तर हो।

दिनांक:17.08.2026

(संजय मिश्र)
अपर ज़िला एवं सेशन न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–01, महराजगंज
UPID–6257

11. उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया ।

दिनांक:17.08.2026

(संजय मिश्र)
अपर ज़िला एवं सेशन न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–01, महराजगंज
UPID–6257